सं0: 2847 / यूपीनेडा–सो0रूफटाप–फेज–2 / 2021–22
उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण,
विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ
दिनांकः 5 सितम्बर, 2022

कार्यालय ज्ञाप

शासन के पत्र संख्या–891 / 87–2021–8(06) / अति0ऊ0 / 2014 दिनांक 31 अगस्त, 2022 द्वारा भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापः 318 / 6 / 2022–जीसीआरटी, दिनांक 10 जून, 2022 की भॉति उत्तर प्रदेश राज्य में भी सोलर रूफटाप कार्यक्रम फेज–2 की प्रकिया के सरलीकरण हेतु नेशनल पोर्टल की प्रकिया को लागू करने हेतु प्राप्त अनुमोदन के क्रम में एमएनआरई, भारत सरकार की सरलीकरण प्रक्रिया के अनुसार वेण्डर्स / फर्मों से रू0 2.50 लाख की बैंक गारंटी 5 वर्ष के लिये प्राप्त कर एवं 15 बिन्दुओं के निर्धारित प्रारूप (Format of Declaration from Vendor) के अनुसार औपचारिकताएं पूर्ण कर फर्मो के इम्पैनलमेंट / पंजीकरण की कार्यवाही की जानी है।

यूपीनेडा द्वारा इम्पैनल्ड / पंजीकृत वेण्डर्स प्रदेश के समस्त डिस्कॉम में इम्पैनल्ड / पंजीकृत माने जायेंगे। इस हेतु वेण्डर्स को पृथक से अतिरिक्त पी0बी0जी0 देने की आवश्यकता नहीं होगी। फर्मों / वेण्डर्स का इम्पैनलमेंट / पंजीकरण दिनांक 06.09.2022 से यूपीनेडा द्वारा आनलाइन / आफलाइन माध्यम से प्रारम्भ किया जा रहा है। वर्तमान में उक्त इम्पैनलमेंट / पंजीकरण, इम्पैनलमेंट की तिथि से 01 वर्ष हेतु मान्य होगा, जिसे वार्षिक आधार पर नवीनीकृत कराया जा सकेगा।

(अनुपम शुक्ला)
निदेशक, यूपीनेडा।

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0पावर कार्पोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. प्रबंध निदेशक, उ0प्र0पावर कार्पोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. प्रबंध निदेशक, समस्त डिस्कॉम, उ0प्र0।
4. सचिव एवं मुख्य परियोजना अधिकारी, यूपीनेडा।
5. वित्त एवं लेखाधिकारी, यूपीनेडा।
6. प्रभारी, प्रचार / कम्प्यूटर, यूपीनेडा मुख्यालय, लखनऊ।
7. आई0टी0 मैनेजर, यूपीनेडा को वेबसाइट पर प्रदर्शित किये जाने हेतु।

(अनुपम शुक्ला)
निदेशक, यूपीनेडा।

Scanned with CamScanner